2022
144

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 89/2022

प्रार्थीगण :– 1. तेजाराम पुत्र पुराराम जाति निवासी बालोतरा, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।

2.रमेश रोहित एचयूएफ पुत्र बुधाराम विश्नोई निवासी मुंगडा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

3.भोमाराम पुत्र नंदराम जाति जाट निवासी कितपाला तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. सांवलराम पुत्र मानाराम जाति देवासी
2. सोनाराम पुत्र मानाराम जाति देवासी
3. हंजादेवी पुत्री मानाराम जाति देवासी
4. स्व. लाछीदेवी पत्नी मानाराम देवासी के कायम मुकाम
   4/1. सोनाराम पुत्र लाछी देवी पत्नी मानाराम
   4/2.सांवलराम पुत्र लाछी देवी पत्नी मानाराम
   निवासीयान जेरला तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।
   4/3.हंजादेवी पत्नी दलाराम पुत्री स्व लाछी देवी पत्नी मानाराम जाति देवासी निवासी सारणा तहीसल पचपदरा।
5. स्व बाबुलाल पुत्र पन्नाराम जाति देवासी के वारिसान
   5/1. हडमानराम पुत्र बाबुलाल
   5/2.मालाराम पुत्र बाबुलाल
   5/3. भीखीदेवी पत्नी बाबुलाल
   5/4. स्वं फुसाराम पुत्र बाबुलाल
   5/4/1 पिन्टा पुत्री फुसाराम
   5/4/2 भरत पुत्र फुसाराम
   5/4/3 तरूण पुत्र फुसाराम जाति
   नाबालिग विप्रार्थी संख्या 5/4/1 ता 5/4/3 जरीये माता कमलादेवी पत्नी फुसाराम जाति
   5/5 कमला देवी पत्नी फुसाराम समस्त जातियान देवासी निवासीयान बिठुजा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।
6. धुंकाराम पुत्र तेजाराम जाति देवासी निवासी कनाना तह0 पचपदरा
7. कोलाराम पुत्र मुकनाराम जाति देवासी निवासी मुठली तह0 सिवाना
8. राणाराम पुत्र सवाईराम जाति देवासी निवासी रबारियों का टांका बालोतरा
9. पोनीदेवी पत्नी भांकराराम जाति देवासी निवासी हरमलपुरा तह0पचपदरा
10. सलीम खां पुत्र लाल खां [illegible]
11. अमीनखां पुत्र मिश्रेखां जाति मुसलमान नि[illegible]रालिया बेरा तहसील गिडा जिला बाडमेर ।
12. श्रीमती पानीदेवी पत्नी [illegible] जाति घांची [illegible] रबारियों का टांका बालोतरा तहसील पच[illegible]
13. खीमराज पुत्र बस्ताजी जाति पुरोहित निवासी [illegible]रियो का टांका बालोतरा
14. आयुक्त, नगर परिषद बालोतरा ।
15. श्रीमती टपलीदेवी पत्नी घेवाराम जाति प्रजापत निवासी पाटोदी तह0पचपदर
16. खमादेवी पत्नी शंकरराम जाति प्रजापत निवासी पाटोदी तह0 पचपदरा।
17. बिजाराम पुत्र पेपाराम जाति सुथार निवासी गजेसिह नगर, भुंगरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:00:20 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

तह0शेरगढ जिला जोधपुर

18. कलाराम पुत्र हिरालाल जाति घांची निवासी बालोतरा तह0 पचपदरा

19. खुशालसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति पुरोहित निवासी कनोडिया पुरोहितान तहसील शेरगढ जिला जोधपुर।

20. जियाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी पाटियाल चौसीरा तह0

21. रामलाल पुत्रशंकरलाल जाति मेंगवाल निवसी बालोतरा

22. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार पचपदरा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान रा0भू रा0 अधि0
बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :–

1. श्री प्रेमसिंह सिसोदिया प्रार्थीगण
2. श्री मादाराम देवासी विप्रार्थी संख्या 1 ता 3

'आदेश दिनांक :– 6.09.2022

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का खातेदारी खेत सरहद मौजा जेरला, पटवार हल्का रामसीन तहसील पचपदरा जिला बाडमेर के खसरा संख्या 674/118 रकबा 12 बीघा 05 किस्म बारानी दोयम है । विप्रार्थीगण सख्या 1 ता 21 खातेदारी भूमि के सेढा पडोसी है। अभी वर्तमान में जमीन की कीमतो में बढोतरी होने के कारण प्रार्थीगण के उक्त खेत पर विप्रार्थीगण पडौसियों द्वारा प्रार्थीगण की उक्त अराजी खसरा की कृषि भूमि के चारो ओर तारबंदी एवं मेडबंदी की तोडने तथा उक्त विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की उक्त मेडबंदी को जगह–जगह अतिक्रमण कर हडपने को आमदा है। प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अक्सर सेढों को लेकर विवाद करते रहते है, इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूमि की नेखमबंदी करवाने का निवेदन किया ।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया। विप्रार्थी संख्या 1 ता 3 जरिये वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1ता 3 की और से वकील ने जबाब पेश कर जाहिर किया कि प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी खेत खसरा संख्या 678/118 रकबा 12.5 बीघा मौजा जेरला क समीप विप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के खातदेारी का खेत खसरा संख्या 673/118 अवश्यक आया हुआ है मगर उक्त भूमि के विप्रार्थीगण संख्या 1 [illegible] लावा अन्य खातेदार भी है जो पैतृक संपति है जो वक्त सेटलमेंट से अपने [illegible] के कब्जा अनुसार निर्बाध रूप से काश्त करते आ रहे है । प्रार्थीगण [illegible] तथ्यो का अंकित कर सीमाज्ञान बाबत मनगढत व झूठा प्रार्थना पत्र पेश [illegible] है जो चलने योग्य नहीं है । इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश करने से खारिज होने योग्य है । साथ ही विप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया कि हम विप्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि का भी सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवायी

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:00:20 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

जाये तो हम विप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को कोई आपतित नहीं है । दीगर विप्रार्थी संख्या 4 ता 21 को नोटिस बाद तामील के अनुपस्थित रहने पर: उक्त के विरूद्व एकपक्षीय पारित की गयी ।

3. प्राथीगण व विप्रार्थी संख्या –1 ता 3 के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के वकील ने दोहराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो का दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण विप्रार्थीगण खातेदारी खेत के सेढा पडोसी है जिनके मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं नेखमबंदी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण खातेदारी काश्तकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जिसके सम्बन्ध मे हल्का पटवारी रामसीन से प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी में नक्शा खतौनी 2076–79 पेश की है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की नेखमबंदी करवाने के आदेश फरमाएं।

4. हमने विद्वान प्रार्थीगण विप्रार्थी संख्या –1 ता 3 के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी व पत्रावली एवं पत्रावली संलग्न राजस्व रेकर्ड एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया । बाद गौर प्रार्थीगण खातदेार काश्तकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है एवं पत्रावली के संलग्न सीमाज्ञान फर्द रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण विवादित भूमि का खातेदार है और अपनी खातेदारी भूमि का नेखमबंदी कराने का हकदार भी है। ऐसी सूरत मे प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है । विप्रार्थी संख्या– 1 ता 3 अपने हक हिस्से की भूमि का भी सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाना चाहते है तो न्यायालय में नया प्रार्थना पत्र पेश कर सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवायें।

5. लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम जेरला, पटवार हल्का रामसीन तहसील पचपदरा जिला बाडमेर के खसरा संख्या 674/118 रकबा 12 बीघा 05 किस्म बारानी दोयम भूमि की नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि नेखमबंदी करने से पूर्व पक्षकारान को जरिये नोटिस अतः नोटिस के सूचित करते हुए उनकी उपस्थित में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चत कर विवादित भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावे । पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो। मौका कमिश्नर शुल्क प्रार्थीगण के द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:00:20 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आज दिनांक 6.09.2022 को आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा